E-Mail

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**
**संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–08/2024..........................**

**आदेश**

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं0–273 दिनांक–16.01.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी मो0 नवाब शारिब कौसर, (Emp. ID No.- SKN05321), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–900/सर्वे दिनांक–08.11.2023 द्वारा मो0 नवाब शारिब कौसर, (Emp. ID No.- SKN05321), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के विरूद्ध अकर्मन्यता के कारण सर्वेक्षण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने, बार–बार निदेश देने पर भी कार्यालय दिनचर्या एवं कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने, कानूनगो डायरी नहीं भरने तथा उपस्थिति पंजी में छेड़–छाड़ करने, अपीलार्थी को आवंटित 05 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–8 में प्राप्त दावा/आपत्ति के सुनवाई करने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रारूप प्रकाशन (प्रपत्र–12) का कार्य बाधित है। अपीलार्थी पर बिना किसी सूचना के अक्सर शिविर कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा दिनांक–06.10.2023 से 07.10.2023 तक की अवधि में शिविर प्रभारी को बारम्बार मोबाइल पर कॉल कर के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। अपीलार्थी पर कार्यालय के सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को भ्रमित कर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अपीलार्थी की संविदा नियोजन समाप्ति की अनुशंसा की गई है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक–8910 दिनांक–14.11.2023 द्वारा मो0 कौसर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

अपीलार्थी अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के उपरान्त समर्पित किया है। अपीलार्थी ने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि हम पर शिविर प्रभारी के दबाव में आरोप प्रतिवेदित किया गया है। शिविर प्रभारी द्वारा अवैध अवकाश का लालच देकर कार्यालय चलाने की बात कही गई है। साथ ही शिविर प्रभारी द्वारा परेशान एवं मानसिक दबाव बनाने की बात अंकित करते हुए आवंटित कार्यों को सम्पन्न करने की बात कही गयी है।

मो0 कौसर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा की गयी। स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि सहायक निदेशक के अतिरिक्त लगभग 08 अन्य दूसरे विभाग के पदाधिकारियों को दी गई है, जिसमें से 01 प्रतिलिपि बिहार लोक शिकायत निवारण के तहत शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेषित की गई है, तथा दूसरी प्रतिलिपि अवर सचिव, अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उचित कार्रवाई हेतु दिया गया है, जबकि स्पष्टीकरण सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप स्तर पर की गई थी। ऐसी परिस्थिति में स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि के रूप में विभाग से इतर पदाधिकारियों को देना स्पष्ट करता है कि इन्हें अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का समाधान विभागीय स्तर पर न कराकर अन्य जगह सूचना देना है, जो इनकी अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

मो0 कौसर आवंटित 05 राजस्व ग्रामों के सुनवाई पूरी कर चुके थे परन्तु आदेश पारित नहीं करने के कारण 04 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–12 में प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जा सका। 01 राजस्व ग्राम का प्रारूप अधिकार अभिलेख अब तक प्रकाशित है। स्पष्ट है कि मो0 कौसर के कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है एवं समर्पित स्पष्टीकरण में अपने उपर लगे आरोपों के स्थान पर अन्य पदाधिकारियों पर दोषारोपण करने का अधिक प्रयास किया गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा इनके कार्य प्रगति एवं असामान्य आचरण के दृष्टिगत टेटियाम्बर, शिविर–1 से टेटियाम्बर, शिविर–2 में प्रतिनियुक्त किया गया। कार्य प्रणाली एवं आचरण में सुधार नहीं होने तथा उपरोक्त कारणों से बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा संविदा संमाप्ति की अनुशंसा की गयी जिसके आलोक में अपीलार्थी का संविदा नियोजन समांप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि इनका नियोजन वर्ष 2020 में न होकर पटना उच्च न्यायालय के वाद सं0–CWJC 8612/2021 के आलोक में निदेशालय आदेश–4548, दिनांक–13.12.2022 के द्वारा 11.02.2023 को बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर में नियुक्त किया गया है। संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त न होने एवं उत्पन्न समस्या पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यों में विलंब हुआ है, जिसके लिए इन्होंने क्षमा याचना की है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने से कानूनगो डायरी भरने में विफलता के लिए भी इन्होंने क्षमा याचना की है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि सरकारी कार्यों का जानकारी नही होने के कारण अज्ञानतावश प्रतिलिपि अन्य पदाधिकारी को दिया है जिसके लिए भी अपीलार्थी द्वारा क्षमा याचना की गयी है। कार्य पूर्ण नही होने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अकाउन्ट लॉग–इन नही होने का जिक्र किया गया है।

अपीलार्थी के कथन, निदेशालय के मंतव्य तथा संलग्न अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मो0 कौसर टेटियाम्बर– शिविर 01 एवं टेटियाम्बर– शिविर 02 में पदस्थापित रहे है। दोनों ही शिविर के शिविर प्रभारी द्वारा अपीलार्थी को बिना आवेदन के शिविर कार्यालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में टेटियाम्बर– शिविर 01 के पत्रांक– 166 दिनांक–22.06.2023, 169 दिनांक–26.06.2023, 177 दिनांक–01.07.2023, 186 दिनांक–05.07.2023, 187 दिनांक–06.07.2023, 198 दिनांक–10.07.2023 एवं टेटियाम्बर–शिविर 02 के पत्रांक–207 दिनांक–21.07.2023 द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर को सूचित किया गया है। अनाधिकृत अनुपस्थिति, कानूनगो डायरी नहीं भरने, उपस्थिति पंजी में छेड़छाड़ करने, अनुपस्थिति के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने इत्यादि से संबंधित स्पष्टीकरण की मांग इनसे शिविर प्रभारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अनेकों बार किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर में अपने उपर लगाये गये आरोपों से इतर दूसरे कर्मियों की कमी निकालने का प्रयास के साथ–साथ शिविर प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी/कर्मी पर ही दोषारोपण प्रतिवेदित किया गया है। इनके द्वारा दिनांक–18.07.2023 को बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर को समर्पित स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर में यह अंकित किया गया है कि उच्च न्यायालय जाने के दबाव पर शिविर प्रभारी द्वारा भय से मेरे वेतन पर अग्रेतर कार्रवाई की गयी है।

संलग्न अभिलेखों एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा दाखिल मंतव्य से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–900 दिनांक–08.11.2023 द्वारा प्राप्त अनुशंसा पर निदेशालय द्वारा कृत कार्रवाई उचित है। कार्य स्थल पर विलंब से पहुँचना, बिना किसी सूचना के शिविर कार्यालय से अनुपस्थ रहना, उपस्थिति पंजी में छेड़–छाड़ करना, वरीय पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार करना, न्यायलय जाने की धमकी देना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचना, विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य को स्वयं न करना तथा अन्य कर्मियों को भी भ्रमित कर कार्य बाधित रखना, कार्य संतोषजनक न रहने की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण पर आदतन दूसरे शिविर में भी कार्य न करना तथा अनुपस्थित रहना, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का समाधान विभागीय स्तर पर न कराकर अन्य जगह सूचना देना अपीलार्थी के अनुशासनहीनता, कत्तर्व्यहीनता स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। ऐसे कर्मी को सेवा में बनाए रखना सर्वथा न्यायसंगत नहीं है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या–273 दिनांक–16.01.2024 में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः मो0 नवाब शारिब कौसर, (Emp. ID No.- SKN05321), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

**ह0/–**
**अपर मुख्य सचिव–सह–**
**अपीलीय प्राधिकार**

E-Mail

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

**ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–08 / 2024**....13571.....**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

**प्रतिलिपिः–** मो0 नवाब शारिब कौसर, (Emp. ID No.- SKN05321), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर, Email ID- sharibkausar22 @gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

**ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–08 / 2024**....13571.....**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

**प्रतिलिपिः–** बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–08 / 2024**....13571.....**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

**प्रतिलिपिः–** प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–08 / 2024**....13571.....**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

**प्रतिलिपिः–** निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–08 / 2024**....13571.....**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

**प्रतिलिपिः–** अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–08 / 2024**....13571.....**पटना, दिनांक :–**03/09/2024

**प्रतिलिपिः–** श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03.09.24
उप निदेशक–सह–
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप